न्यायालय उप खण्ड अधिकारी, सोजत जिला पाली
पीठासीन अधिकारीः– श्रीमती कुसुमलता चौहान, आर.ए.एस.

प्रार्थीगण	बनाम	अप्रार्थीगण
1. पदमराज पुत्र जवरीलाल जाति जीनगर निवासी सोजतसिटी जिला पाली राज0		1. भोमाराम पुत्र गोपाराम जाति मेघवाल बालिग निवासी न्यु कोर्ट सोजत (मामावास रोड, बेरा कोया नाडा) सोजतसिटी तहसील सोजत जिलाह पाली राजस्थान 2. हीरालाल पुत्र राजुराम जाति जटिया बालिग निवासी जटियों का बास, सोजत 3. सिटी तहसील सोजत जिला पाली राजस्थान तहसीलदार (भूमि धारक) तहसील सोजत जिला पाली।

उप खण्ड अधिकारी सोजत, जिला-पाली (राज.)

राजस्व प्रार्थना पत्र अन्तर्गत धारा 212 आर.टी. एक्ट 1955

राजस्व प्रा0 पत्र संख्या 89/2023

उपस्थितिः–

01. सु0श्री नीलम सोनी अधिवक्ता प्रार्थी उपस्थित।
02. श्री लक्ष्मण मेघवाल अधिवक्ता अप्रार्थी संख्या 01 उपस्थित।

–: निर्णय :– दिनांक :– 12/08/2024

अधिवक्ता मय प्रार्थी ने राजस्व प्रार्थना पत्र अंतर्गत धारा 212 आर.टी. एक्ट 1955 के तहत विरूद्ध अप्रार्थी इस आशय का प्रस्तुत कर निवेदन किया कि सरहद मौजा सोजत चक द्वितीय पटवार हल्का सोजत चक द्वितीय भू0अ0नि0 क्षेत्र सोजत चक द्वितीय के खसरा संख्या 1992 रकबा 0.9100 हैक्टर किरम मेहन्दी की भूमि आई हुई स्थित है, जो कृषि भूमि प्रार्थीया व अप्रार्थी संख्या 01 की संयुक्त खातेदारी, कब्जाकाश्त की है। प्रार्थीया का राजस्व रेकर्ड में 1/4 तथा अप्रार्थी संख्या 01 का राजस्व रेकर्ड अनुसार 3/4 हिस्सा आता है। वादस्थ कृषि भूमि का बंटवाडा नही होने से वादस्थ भूमि में असुविधा उत्पन्न हो रही है। जिससे प्रत्येक इंच की जमीन पर सभी खातेदार का कब्जा है। मौखिक बंटवाडे अनुसार मौके पर काबिज है। खातेदारान का एक दुसरी की कृषि भूमि में जाने हेतु पर्याप्त मार्ग उपलब्ध नही होने की वजह से अप्रार्थी के हक हिस्से एवम आधिपत्य की कृषि भूमि के उपयोग व उपभोग में अनावश्यक रूप से हस्तक्षेप कर प्रार्थीया के हिस्से की मेहन्दी की फसल की कटाई नही करने हेतु विप्रार्थना उत्पन्न करनेका प्रयास कर रहा है। अप्रार्थीगण खसरा नम्बर 1991 के पास नाजायज कब्जा करने व इमारती पत्थर व चुना बजरी डालने पर उतारू है तथा प्रार्थी को बेदखल करने का प्रयास कर रहा है। यदि ऐसा करने में वे सफल होते है तो अप्रार्थीगण को अपूर्णीय

उपखण्ड अधिकारी
सोजत (राज.)

क्षति होगी । जिससे प्रथम दृष्टया मामला, सुविधा का सन्तुलन व अपूर्णी क्षति तिनो बिन्दु प्रार्थी के पक्ष मे होने स सरहद ग्रेजा सरहद मौजा सोजत चक द्वितीय पटवार हल्का सोजत चक द्वितीय भू0अ0नि0 क्षेत्र सोजत चक द्वितीय के खसरा संख्या 1992 रकबा 0.9100 हैक्टर किस्म मेहन्दी की कृषि भूमि में प्रार्थी के हक हिस्से में अप्रार्थी किसी प्रकार की दखल अन्दाजी नही करे। इस पर राजस्व विविध प्रार्थना पत्र दर्ज रजिस्टर किया जाकर अप्रार्थीगण को जरिये नोटिस तलब किया गया। अप्रार्थीगण को जारी नोटिस बाद तामिल रजि0 डाक से प्राप्त । सा0मि0 हो। अप्रार्थीगण संख्या 02 बावजुद सूचना / तामिल बार बार आवाजे लगाने पर भी अनुपस्थित रहने से इनके विरूद्ध एकपक्षीय कार्यवाही की जाती है।

अप्रार्थी संख्या 01 की ओर से श्री लक्ष्मण मेघवाल अधिवक्ता अप्रार्थी ने जवाब प्रार्थना पत्र पेश कर निवेदन किया कि सरहद मौजा सोजत चक द्वितीय तहसील सोजत के खसरा नम्बर 818/1 रकबा 0.9046 हैक्टर की कृषि भूमि में प्रार्थी खातेदार अवश्य है लेकिन प्रार्थी का मौके पर किसी प्रकार का कोई कब्जा काश्त नहीं है कब्जे के अभाव में अभाव में प्रार्थी अंस्थायी निषेधाज्ञा प्राप्त करने का अधिकारी नही है, इसलिए उपरोक्त कृषि भूमि वादग्रस्त नही है लेकिन प्रार्थी द्वारा जबरन उपरोक्त कृषि भूमि को वादग्रस्त बना रहे है इसलिए उपरोक्त पेरे में कोई सच्चाई नहीं होने के कारण खारिज किये जाने योग्य है। वादस्थ भूमि में प्रार्थी का 7/22 वां हिस्सा राजस्व रिकोर्ड में अवश्य है लेकिन मौके पर किसी प्रकार का कब्जा काश्त नही है क्योंकि उपरोक्त कृषि भूमि शुरू से ही अप्रार्थी के सगे भाई प्रमापराम के नाम दर्ज थी जिसे शराब के नशे मे खिला पिला कर गलत बैचान रजिस्ट्री करवा दी गई थी जिसे पूर्व में अपर जिला न्यायाधीश सोजत द्वारा खारिज कर दी गई थी, जिसके दीवानी मूल वाद संख्या 07/2014 है, जिसका निर्णय दिनांक 25.08.2017 को हो चुका था, जिस निर्णय व डिक्री के विरूद्ध अप्रार्थी संख्या 02 हीरालाल ने माननीय राजस्थान उच्च न्यायालय जोधपुर के न्यायालय में अपील पेश की है, जिसके नम्बर एस.बी. सिविल फस्ट अपील नम्बर 451/2017 है, जो प्रकरण विचाराधीन है जिसका नोट भी जमाबन्दी में लगा हुआ है, अप्रार्थी संख्या 02 हीरालाल का भी मौके पर कोई कब्जा काश्त नहीं है, राजस्व रिकोर्ड जमाबन्दी में अप्रार्थी संख्या 01 का 1/2 हक हिस्सा है एवं अप्रार्थी 01 के भाई प्रपापराम ने मृत्यु से पहले वसीयत कर दी थी इसलिए सम्पूर्ण कृषि भूमि पर अप्रार्थी संख्या 01 का ही कब्जा काश्त है। अप्रार्थीगण रेकर्डेड खातेदार अवश्य है लेकिन मौके पर प्रार्थी का किसी प्रकार का कोई कब्जा काश्त नही है मौके पर किसी का कब्जा काश्त है ही नही तो बंटवाडे का प्रशन पैदा नही होता है, मौके पर प्रार्थी का ही कब्जा है। प्रकरण

उपखण्ड अधिकारी
सोजत (राज.)

प्रथम दृष्टया , सुविधा का संतुलन व अपूर्णीय क्षति तिनो बिन्दु अप्रार्थीगण के पक्ष में होन से प्रार्थी का प्रार्थना पत्र खारिज किये जाने की ईश्तदुआ की है।

बहस अधिवक्ता प्रार्थी एंवं तहसीलदार सोजत सूनी गई। सरहद मौजा सोजत चक द्वितीय पटवार हल्का सोजत चक द्वितीय भू0अ0नि0 क्षेत्र सोजत चक द्वितीय के खसरा संख्या 1992 रकबा 0.9100 हैक्टर किस्म मेहन्दी की भूमि आई हुई स्थित है, जो कृषि भूमि प्रार्थीया व अप्रार्थी संख्या 01 की संयुक्त खातेदारी, कब्जाकाश्त की है। प्रार्थीया का राजस्व रेकर्ड में 1/4 तथा अप्रार्थी संख्या 01 का राजस्व रेकर्ड अनुसार 3/4 हिस्सा आता है। वादस्थ कृषि भूमि का बंटवाडा नही होने से वादस्थ भूमि में असुविधा उत्पन्न हो रही है। जिससे प्रत्येक इंच की जमीन पर सभी खातेदार का कब्जा है। मौखिक बंटवाडे अनुसार मौके पर काबिज है। खातेदारान का एक दुसरी की कृषि भूमि में जाने हेतु पर्याप्त मार्ग उपलब्ध नही होने की वजह से अप्रार्थी के हक हिस्से एवम आधिपत्य की कृषि भूमि के उपयोग व उपभोग में अनावश्यक रूप से हस्तक्षेप कर प्रार्थीया के हिस्से की मेहन्दी की फसल की कटाई नही करने हेतु विप्रार्थना उत्पन्न करनेका प्रयास कर रहा है। जिस कारण अप्रार्थीगण को जरिये अप्रार्थी अस्थाई निषेधाज्ञा रोका जाता है। जवाब बहस में अधिवक्ता अप्रार्थी ने जाहिर किया कि प्रार्थी द्वारा बिल्कुल मनगढ़त तथ्यों के साथ वाद एवं प्रार्थना पत्र पेश किया हैं। प्रार्थी रास्ते की भूमि को हड़प करना चाहता हैं। अप्रार्थी रेकर्डेड खातेदार एवं वादग्रस्थ भूमि में सहखातेदार हैं। जिसके विरूद्ध अस्थायी निषेधाज्ञा जारी नहीं की जा सकती हैं। अतः प्रार्थी का प्रार्थना पत्र खारिज किया जावें।

हमने पत्रावली का अवलोकन किया। प्रस्तुत प्रार्थना पत्र, जवाब प्रार्थना पत्र सहित उभय दस्तावेजात का अध्ययन कर बहस वकुलाय पर गौर व मनन किया। प्रस्तुत वादग्रस्थ कृषि भूमि में पक्षकारो के हक अधिकारों का निर्धारण मूल वाद में तनकियात कायम कर साक्ष्य सबूतों व गवाहो के बयान कलमबद्ध करके गुणावगुण पर तय किया जायेगा। वर्तमान परिपेक्ष्य में मूल वाद के निर्णय तक यदि रास्ते की भूमि पर निर्माण इत्यादि कर दिया जाता है तो प्रार्थीगण को अपूर्णीयक्षति होगी। मूल वाद बंटवाडा का है जिससे मौके की वर्तमान स्थिती वाद निर्णय तक बनाये रखा जाना उचित समझते है।

—: आदेश :—

अधिवक्ता प्रार्थी द्वारा प्रस्तुत प्रार्थना पत्र अंतर्गत धारा 212 आर.टी. एक्ट 1955 का स्वीकार किया जाता है। अस्थाई निषेधाज्ञा इस अमर की सादिर की जाती है

उपखण्ड अधिकारी
सोजत (राज.)

कि उभय पक्ष मूल वाद के निर्णय तक सरहद मौजा खसरा नम्बर 818/1 रकबा 0.9046 हैक्टर की कृषि भूमि के मौके की यथास्थिति बनाये रखेगें। पत्रावली मूल वाद के साथ नत्थी हो। पत्रावली फैसल शुमार होकर नम्बर से कम हो। बाद तकमील जाब्ता मूल वाद के साथ नत्थी हो।

(कुसुमलता चौहान)
उपखण्ड अधिकारी, सोजत
सोजत (राज.)

यह निर्णय आज दिनांक 12/08/24 को मेरे द्वारा लिखवाया जाकर बाद हस्ताक्षर खुले न्यायालय में सुनाया गया।

(कुसुमलता चौहान)
उपखण्ड अधिकारी, सोजत
सोजत (राज.)